राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन, भोपाल

क्रं.853/2014/रा.यो.आ./जि.यो./वि.नि./ भोपाल, दिनांक: 25/7/14

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः– **जिला योजना वर्ष 2015–16 तैयार करने तथा ग्राम मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु जिला योजना तैयार की जानी है। योजना निर्माण में जन–सामान्य की भागीदारी तथा वांछित गतिविधियों के क्रियान्वयन द्वारा ही प्रदेश का समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

विगत वर्षों में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया से प्राप्त गतिविधियों एवं उनके संकलन द्वारा तैयार किये ग्राम मास्टर प्लान में समुदाय द्वारा मांग की गई गतिविधिओं में से मात्र 47 प्रतिशत गतिविधियों को ही संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत किया गया है। शेष समस्त सामुदायिक मांगों पर या तो कोई रिस्पोंस नहीं दिया गया है अथवा उन्हें भविष्य की योजना में लेने हेतु लंबित रखा गया है। उक्त में से 14 प्रतिशत गतिविधियों पर विभागों द्वारा क्रियान्वयन में असमर्थता व्यक्त की गई है।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुये जिला योजना निर्माण प्रक्रिया में वर्ष 2015–16 के लिए परिवर्तन करते हुये नवीन सामुदायिक मांगों को न जोड़ते हुये, पूर्व में स्वीकृत गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने तथा शेष गतिविधियों पर उचित विभागीय रिस्पोंस सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है। जिससे कि बड़ी संख्या में लंबित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इससे सामुदायिक मांगों का क्रियान्वयन पूर्ण होने से जहां एक ओर समुदाय का विश्वास तथा भागीदारी नियोजन प्रक्रिया में बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर विधानसभा संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार ग्राम मास्टर प्लान का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा। विभागों द्वारा इस वर्ष रिस्पोंस प्लान बनाते समय यह भी ध्यान रखा जाये कि "भविष्य हेतु" अंकित की गई गतिविधियों के क्रियान्वयन की समयसीमा भी उसी समय निर्धारित कर ली जाये, जिससे कि संबंधित सामुदायिक मांग को कब तक पूर्ण किया जायेगा यह स्पष्ट हो सके।

अतः वर्ष 2015–16 हेतु नियोजन प्रक्रिया में तकनीकी सहायता दलों द्वारा विगत वर्षों की भांति ही नियोजन इकाईयों का ग्राम स्तरीय भ्रमण किया जाये तथा ग्राम स्तरीय नियोजन हेतु पूर्व निर्धारित

प्रपत्र–3A तथा शहरी नियोजन हेतु प्रपत्र–2 पर ही मात्र चर्चा की जाये। (शेष प्रपत्रों पर आगामी नियोजन वर्षों से पुनः चर्चा की जायेगी।) इस वर्ष पुनः नवीन सामुदायिक मांगों को न जोड़ते हुये पूर्व में समुदाय द्वारा मांग की गयी गतिविधियों पर पुनः सामुदाय से चर्चा कर स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति तथा शेष गतिविधियों का पुष्टिकरण (वेलीडेशन) तथा पुनः प्राथमिकीकरण कराया जाये तथा संबंधित विभाग की योजना से लिंक किया जाये। जिला नियोजन वर्ष 2015–16 हेतु कार्यक्रम एवं समयसारणी अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।

अतः विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर वर्ष 2015–16 हेतु योजना निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान आवश्यक रूप से रखा जाये –

1. वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक नियोजन प्रक्रिया द्वारा समुदाय द्वारा मांग की गई गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु **''ग्राम मास्टर प्लान''** का निर्माण किया गया है। उक्तानुसार ग्राम मास्टर प्लान में स्वीकृत किये गये समस्त कार्यो का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने हेतु जिला कलेक्टर साप्ताहिक टीएल बैठक में इसकी समीक्षा करें। विभागों द्वारा ग्राम मास्टर प्लान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत विवरण अनुलग्नक–2 पर संलग्न है।
2. विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अनुसार विभिन्न स्तरों पर पृथक–पृथक श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों यथा विभागीय कार्यकर्ता, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि हेतु प्रशिक्षण उद्देश्य के आधार पर पृथक–पृथक प्रशिक्षणों का आयोजित किये जाये।
3. प्रत्येक जिले का क्षमतावर्धन कार्यक्रम, आईईसी/जागरूकता कार्यक्रम तथा समयसारणी आवश्यक रूप से तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
4. ग्राम/वार्ड द्वारा अंतिम प्रस्तावित योजना का ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित करें। तकनीकी सहायता दलों द्वारा स्थानीय नियोजन इकाईयों के भ्रमण हेतु दिशानिर्देश अनुलग्नक–3 पर तथा साफ्टवेयर के माध्यम से प्रपत्र डाउनलोड करने की जानकारी अनुलग्नक–4 पर संलग्न है।
5. वर्ष 2015–16 में विकेन्द्रीकृत योजना सुदृढ़ीकरण मद में प्रावधान की गई राशि का यथोचित उपयोग करते हुये गुणवत्तापूर्ण योजनाओं का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रक्रिया संचालन हेतु वित्तीय प्रावधान अनुलग्नक–5 पर संलग्न है।
6. तकनीकी सहायता दलों के सदस्यों को प्रक्रिया संचालन के लिये प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाईयों से योजनाओं का पुष्टिकरण के पश्चात् तैयार योजनाओं का समेकन करते हुए ''समेकित जिला योजना'' प्रारूप तैयार करें और निर्धारित अवधि में पूर्ण कर दिनाँक 25 अक्टूबर 2014 तक राज्य योजना आयोग की वेबसाइट http://mpdecentralizedplanning.in/spc/ पर प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें। **जिलों की समेकित जिला योजना को राज्य योजना आयोग में चर्चा उपरांत अंतिम रूप दिया जायेगा।** जिला योजना निर्माण प्रक्रिया के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु संकेतक अनुलग्नक–6 पर संलग्न है, जिसके आधार पर जिलों की प्रगति की रेंकिंग की जायेगी।

विश्वास है कि, वर्ष 2015–16 की जिला योजना आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वास्तविक, तथ्यात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण बनेगी तथा पूर्व वर्षों में प्राप्त सामुदायिक गतिविधियों को क्रियान्वयन पूर्ण होगा। इस संबंध में यदि और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता हो तो राज्य योजना आयोग के दूरभाष क्रं. 0755–4093743 पर संपर्क किया जा सकता है।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार।

(अजिता बाजपेयी पाण्डे)
सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
म.प्र. शासन.

पृ. 954 / 2013 / रा.यो.आ. / जि.यो. / वि.नि. / भोपाल, दिनांकः 25/7/14

प्रतिलिपिः–

1. पी.ए. टू समस्त माननीय प्रभारी मंत्री, जिला.....,मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत.....जिला.....
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला.....
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव ..... विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त संभागायुक्त, संभाग.....।
6. समस्त विभागाध्यक्ष ..... विभाग, भोपाल की ओर लेख है कि कृपया संबंधित विभाग को अपने स्तर से भी निर्देश जारी करें।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय सांख्यिकी कार्यालय..... संभाग.....
9. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
11. कार्यपालक निदेशक, म.प्र.जन अभियान परिषद।
12. सीईओ, मेप आईटी, 147, जोन–1, एमपीनगर, भोपाल
13. समस्त अधिकारी .....राज्य योजना आयोग।

25.07.14

उप सचिव,
राज्य योजना आयोग,
म.प्र. शासन.

अनुलग्नक–1

जिला नियोजन वर्ष 2015–16 हेतु कार्यक्रम एवं समयसारणी

1	• जिले का क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम एवं समयसीमा तैयार करना तथा विकासखण्डों एवं संबंधित विभागों के लिये आवश्यक निर्देश जारी करना।
	• जिला योजना समिति सदस्यों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों/सदस्यों, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण सत्र
	• जिला/जनपद स्तरीय/नगरीय निकाय नियोजन दलों का गठन एवं जिला योजना समिति के अध्याधीन सेक्टरों में नियोजन के लिये उप समितियों का गठन करना –
	  • ग्राम पंचायत स्तरीय एवं नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दलों (TSG) का गठन
	  • जिला स्तर पर प्रशिक्षण (चिन्हित जिला, ब्लॉक एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों का Master Trainer के रूप में)
	  • जनपद/नगरीय निकाय स्तर पर TSG का प्रशिक्षण
		05 अगस्त 2014 तक

2	• ग्राम स्तर, मोहल्ला/वार्ड स्तर पर नियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करना एवं ग्राम सभा/वार्ड सभा में प्रस्तावित योजना/कार्यों का अनुमोदन	19 सितम्बर 2014 तक – 45 दिवस
3	• जनपद स्तर एवं नगरीय निकाय स्तर पर डाटा प्रविष्टि, डाटा क्लीनिंग तथा वेलीडेशन • विभागों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण • विभागवार प्रस्तावित गतिविधियों पर रिस्पोंस प्लान तैयार करना	20 सितम्बर 2014 से 13 अक्टूबर 2014 तक – 24 दिवस
4	जिले के जन–मीडिया और स्वयं सेवी संगठनों, स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, बड़े औद्योगिक इकाईयों के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके	14 अक्टूबर 2014 से 17 अक्टूबर 2014 तक– 04 दिवस
5	जिला योजना समिति ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर एवं समस्त विभागों के रिस्पोंस प्लान का विश्लेषण कर जिला योजना को अंतिम रूप देना एवं राज्य योजना आयोग को प्रस्ताव भेजना	18 अक्टूबर 2014 से 25 अक्टूबर 2014 तक – 08 दिवस
6	राज्य योजना आयोग में जिलों के साथ चर्चा प्रारम्भ – इस हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।	25 अक्टूबर 2014 के बाद

अनुलग्नक–2

ग्राम मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

- **ग्राम मास्टर प्लान का क्रियान्वयन तथा जिला योजना निर्माण प्रकिया द्वारा प्राप्त सामुदायिक मांगों के संबंध में विभागों हेतु निर्देश :**

प्रदेश में वर्ष 2010–11 से स्थानीय नियोजन प्रक्रिया के द्वारा ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जिसका कि संकलन ग्राम मास्टर प्लान के रूप में विभाग की वेबसाइट http://mpplanningcommission.gov.in/ पर अथवा (http://164.100.196.97/planningportal) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2015–16 हेतु तकनीकी सहायता दलों द्वारा नियोजन इकाईयों के साथ चर्चा कर विगत वर्षों में ग्राम मास्टर प्लान अंतर्गत प्राप्त गतिविधियों का वेलीडेशन तथा प्राथमिकीकरण करने के पश्चात् संशोधित योजनाओं को ब्लाक स्तर पर डाटा एन्टर कराया जाएगा तथा संबंधित विभाग की योजनाओं से लिंक किया जायेगा। इसके पश्चात् उक्त सामुदायिक मांगों पर संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा रिस्पोंस प्लान तैयार किया जाये। विभाग द्वारा गतिविधी को Approved, Already Sanctioned, Not Feasible, To Be Taken in Future श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग साफ्टवेयर में एन्टर किये गये डाटा के माध्यम से ग्राम मास्टर प्लान तथा वार्ड नियोजन अंतर्गत प्राप्त समस्त सामुदायिक गतिविधियों का विश्लेषण करें एवं यदि डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगती जैसे गतिविधी का नाम न लिखा होना या गलत लिखा होना/इकाई गलत होना/इकाई लागत गलत होना आदि जैसी विसंगतियां हो तो उसे ठीक करा लिया जाये। चूंकि मुख्य सचिव महोदय द्वारा ग्राम मास्टर प्लान अंतर्गत प्राप्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। अतः वर्ष 2015–16 की योजना निर्माण विभागों के लिए एक अवसर है कि वे विभाग अंतर्गत साफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा को वेलीडेट अपने स्तर पर भी करा लें जिससे कि भविष्य में समीक्षा के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

ग्राम मास्टर प्लान अंतर्गत प्राप्त गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभाग निम्नानुसार कार्यवाही करें –

1. समस्त "Approved" गतिविधियों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा चालू वित्तिय वर्ष में ही पूर्ण किया जाये तथा कार्यपूर्णता का स्टेटस साफ्टवेयर में अपडेट करें।

2. समस्त "Already Sanctioned" गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर कार्यपूर्णता का स्टेटस साफ्टवेयर में अपडेट करें।

3. समस्त "Yet To Be Decided" गतिविधियों को विभाग द्वारा रिस्पोंस किया जाये। जिससे कि उक्त श्रेणी में विभाग से संबंधित कोई भी गतिविधि शेष न रहे।

4. समस्त "Not Feasible" गतिविधियों का पुनः आकलन कर लिया जाये तथा यदि उन्हें स्वीकृत किया जा सकता हो तो स्वीकृत कर क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाये। यदि संभव हो तो कन्वरजेंस के माध्यम से उक्त श्रेणी में प्राप्त गतिविधियों के क्रियान्वयन की संभावनाओं पर भी विचार कर लिया जाये। चूंकि उक्त गतिविधियों को इस श्रेणी में रखने के कारणों की समीक्षा की जायेगी।

5. समस्त "To Be Taken in Future" में वर्गीकृत गतिविधियों को वर्ष 2015–16 में स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये ताकि कार्यों का क्रियान्वयन 2016–17 तक (12वीं पंचवर्षीय योजनावधी के दौरान) सुनिश्चित किया जा सके।

6. समस्त जिला स्तरीय विभाग ग्राम/वार्ड योजना में प्राप्त समस्त गतिविधियों को तर्कसंगत तरीके से रिस्पोंड करें। ताकि ग्राम/वार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त अधिकतम सामुदायिक मांगों की पूर्ति की जा सके।

7. विभाग गतिविधि पर रिस्पोंस के समय समुदाय द्वारा अंकित प्राथमिकता क्रम को आवश्यक रूप से ध्यान रखें, जिससे कि जिन क्षेत्रों में आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी गई हो उन्हें पहले स्वीकृत किया जा सके।

8. समस्त गतिविधियों की ब्लाक स्तर पर डाटा एन्ट्री की जाती है। अतः समस्त संबंधित विभाग ग्राम/वार्ड योजना में प्राप्त गतिविधियों पर रिस्पोंस करते समय यदि यह पाते हैं कि कोई गतिविधि उनके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसे Not Feasible श्रेणी अंकित न करें तथा साफ्ट्वेयर में सही विकल्प का चयन करते हुये उक्त गतिविधि को संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर दें।

9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त गतिविधियों की डाटा एन्ट्री का कार्य तथा डाटा वेलिडेशन का कार्य गंभीरता पूर्वक तथा समय पर पूर्ण करें। जिससे कि त्रुटियों की संभावनाओं को खत्म किया जा सके।

10. विभागों का ब्लाक स्तर पर पदस्थ अमला भी संबंधित विभागीय गतिविधियों के वेलीडेशन का कार्य करें। जिससे कि ब्लाक स्तर पर डाटा एन्ट्री के समय ही संभावित त्रुटियों तथा विसंगतियों जैसे कार्य की इकाई, इकाई लागत, योजना तथा विभाग से लिंकिग आदि को दूर किया जा सके।

11. संबंधित विभाग स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति को प्रति माह विकेन्द्रीकृत नियोजन के साफ्ट्वेयर में अपडेट करें जिससे की क्रियान्वयन की समीक्षा के समय मास्टर प्लान अंतर्गत क्रियान्वित पूर्ण कार्यों की स्थिति से अवगत हुआ जा सके।

- **विकेन्द्रीकृत नियोजन साफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम मास्टर प्लान जानकारी प्राप्त करने, रिस्पोंस प्लान तैयार करने तथा अद्यतन करने हेतु विस्तृत जानकारी :**

1. विलेज मास्टर प्लान अंतर्गत प्राप्त सामुदायिक मांग/ गतिविधियों की विस्तृत जानकारी विकेन्द्रीकृत नियोजन के साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उक्त साफ्टवेयर में निम्नानुसार प्रक्रिया के माध्यम से जिला/जनपद/ग्राम पंचायत/ग्रामवार एवं विभागवार गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है–
2. सर्वप्रथम इनटरनेट ब्राउज़र पर http://www.mpplanningcommission.gov.in टाइप करें।
3. फ्रंट पेज के राइट साइड में "Decentralized Planning Application" लिंक पर क्लिक करने से विकेन्द्रीकृत नियोजन का पेज ओपन होगा।
4. विकेन्द्रीकृत नियोजन का पेज में राइट साइड में अंतिम ऑप्शन "Login Here" पर अपने विभाग का यूज़र नेम तथा पासवर्ड टाइप कर एन्टर करें। (कृपया पूर्व में जारी किये गये पासवर्ड का ही उपयोग करें। अनुपलब्धता की स्थिति में जिला योजना अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त करें।)
5. उक्त पेज में "PLANNING" सेक्शन में "Response Plan" लिंक पर क्लिक करें।
6. इसके पश्चात् जिला तथा विभाग का नाम प्रदर्शित होगा। उसमें विभाग द्वारा लॉगिन करने के कारण उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात् जिस वर्ष हेतु रिस्पोंस प्लान बनाया जा रहा है उसका चयन कर एन्टर करें। इससे आपके कमाण्ड अनुसार विण्डो ओपन होगी। उदाहरण के लिये यदि जिला – अलीराजपुर, विभाग – कृषि तथा वर्ष–2014–15 का चयन किया जाता है, तो जिला अलीराजपुर में कृषि विभाग से संबंधित कुल सामुदायिक मांगो की जानकारी योजनावार प्रदर्शित होगी।
7. योजनावार जानकारी में विभाग द्वारा उक्त गतिविधी पर रिस्पोंस किया जा सकता है। उक्त समस्त गतिविधियां संबंधित जिला स्तरीय विभाग द्वारा किये गये रिस्पोंस के आधार पर "Yet to be Decided, Approved, To be Taken in Future, Not Feasible, Already Sanctioned, Total (Column Wise)" श्रेणी में स्वतः वर्गीकृत हो जाती हैं।
8. उक्त पेज में "PLANNING" सेक्शन में "Update activity status" लिंक पर क्लिक कर पूर्व में स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति को अपडेट करें।

अनुलग्नक–3

तकनीकी सहायता दलों द्वारा स्थानीय नियोजन इकाईयों के भ्रमण हेतु दिशानिर्देश

ग्राम सभा/ वार्ड सभा द्वारा बनाई गई योजना की गुणवत्ता अतिमहत्वपूर्ण है। वर्ष 2015–16 की योजना निर्माण में ग्राम स्तरीय नियोजन हेतु पूर्व निर्धारित प्रपत्र–3A तथा शहरी नियोजन हेतु प्रपत्र–2 पर ही मात्र चर्चा की जाये। (शेष प्रपत्रों पर आगामी नियोजन वर्षों से पुनः चर्चा की जायेगी।) इस वर्ष पुनः नवीन सामुदायिक मांगों को योजना में नहीं जोड़ा जाना है। पूर्व में समुदाय द्वारा मांग की गयी गतिविधियों पर पुनः समुदाय से चर्चा कर स्वीकृत गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति तथा शेष गतिविधियों का पुष्टिकरण (वेलीडेशन) तथा पुनः प्राथमिकीकरण कर तथा संबंधित विभाग की योजना से लिंक किया जाना है।

तकनीकी सहायता दलों द्वारा उक्त प्रक्रिया संपादित करने हेतु आवश्यकतानुसार क्षेत्र का भ्रमण एक से दो दिवस तक किया जाये। तकनीकी सहायता दलों द्वारा फील्ड भ्रमण के दौरान क्रमशः निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाये –

1. नियोजन इकाईयों का क्षेत्र/स्थल का भ्रमण (ट्रांजिट वॉक) नागरिकों के साथ चर्चा करते हुये किया जाये।
2. समुदाय के साथ बैठक का आयोजन कर प्रपत्र–3 तथा 3ए अनुसार विगत वर्षों में समुदाय द्वारा मांग की गई गतिविधियों से समुदाय को अवगत करायें तथा विभागों द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर प्रपत्र में नियत स्थान पर अंकित करें।
3. विभागों द्वारा "Yet To Be Decided" (वे गतिविधियां जिस पर विभाग द्वारा कोई रिस्पोंस नहीं किया गया है) श्रेणी में रखी गई गतिविधियों पर पुनः चर्चा की जाये। तथा यह ज्ञात किया जाये कि क्या उक्त गतिविधी की वर्तमान में भी समुदाय को आवश्यकता है? यदि है तो उसके प्राथमिकीकरण पर चर्चा की जाये तथा यदि समुदाय की वर्तमान में वह आवश्यकता न हो तो उसे सूची से हटाने हेतु "Not required" अंकित किया जाये।
4. विभागों द्वारा "Taken in future" (भविष्य हेतु लंबित) श्रेणी में रखी गई गतिविधियों के विषय में समुदाय को यह जानकारी दी जाये कि संबंधित विभाग द्वारा उक्त गतिविधि को भविष्य में स्वीकृत किया जाना है। अतः समुदाय यह बताये कि क्या उक्त गतिविधी की वर्तमान में भी आवश्यकता है ? यदि है तो उसके प्राथमिकीकरण पर चर्चा की जाये तथा यदि समुदाय की वर्तमान में वह आवश्यकता न हो तो उसे सूची से हटाने हेतु "Not required" अंकित किया जाये।
5. विभागों द्वारा "Not feasible" श्रेणी में रखी गई गतिविधियों के विषय में समुदाय को यह जानकारी दी जाये कि उक्त गतिविधि को संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। उसके उपरांत भी यदि समुदाय द्वारा उक्त आवश्यकता की मांग की जाती है तो उसके प्राथमिकीकरण पर चर्चा की जाये तथा यदि समुदाय की वर्तमान में वह आवश्यकता न हो तो उसे सूची से हटाने हेतु "Not required" अंकित किया जाये।
6. उक्त पूरी प्रक्रिया में तकनीकी सहायता दल समुदाय को सहयोग (फेसिलिटेट) करे। इस प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त कार्य योजना को ग्राम सभा/वार्ड सभा/यूएलबी के द्वारा अनुमोदित कराया जाये।

अनुलग्नक–4

विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये ऑनलाईन सपोर्ट सिस्टम

जिला योजना वर्ष 2015–16 हेतु गत वर्ष की भांति विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रपत्रों की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्तर से जानकारी संकलित करने के प्रपत्र –**3A** एवं **नगरीय निकायों हेतु प्रपत्र 2 को जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा क्रमशः ऑनलाईन डाउनलोड किया जाए एवं संबंधित तकनीकी सहायता दलों को उपलब्ध कराया जावे।** ऑनलाईन व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि गत वर्ष का डाटा तथा प्रविष्टि/जानकारी समस्त प्रपत्रों में प्रिंट होकर ही निकले। प्रत्येक ग्रामीण/नगरीय निकाय के प्रपत्रों को ऑनलाइन डाउनलोड कर संबंधित TSG को नियोजन हेतु प्रदाय करने की जिम्मेदारी जिले की होगी।

प्रपत्र – 3A (ग्राम की कार्य योजनाएं) – वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की योजना अनुसार अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त भरी जाए। जैसे कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य प्रगतिरत है अथवा कार्य अप्रारंभ है। यही व्यवस्था नगरीय निकाय प्रपत्र –2 हेतु भी रहेगी।

कृपया ध्यान देवें कार्य योजना प्रपत्रों में गत वर्ष की निकायवार जानकारी भरी हुई ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी तथा ग्राम/नगरीय वार्डवासियों से चर्चा कर वर्ष 2015–16 में मात्र उक्त समस्त गतिविधियों के वेलीडेशन तथा प्राथमिकीकरण का कार्य ही किया जाये।

ग्राम सभा के माध्यम से वेलीडेट की गई योजना की प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पर साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाए। इसी प्रकार शहरी निकायों की गतिविधियों की डाटा प्रविष्टि संबंधित निकाय स्तर पर ऑनलाइन की जाए।

चूंकि गत वर्ष से ऑनलाइन प्रविष्टी के माध्यम से प्राप्त जिला योजनाओं पर ही चर्चा जाती है अतएव राज्य योजना आयोग में जिला योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण के समय ऑनलाइन भरे गये प्रपत्र अ–1 से अ–5, प्रपत्र ''ब'' एवं प्रपत्र ''स'' आदि पर ही चर्चा की जायेगी। यदि किसी जिले द्वारा योजना की प्रविष्टी विकेन्द्रीकृत नियोजन के साफ्ट्वेयर में नहीं की जाती है, तो उस जिले की योजना को स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।

अनुलग्नक–5

वित्तीय प्रावधान

जिला विकेन्द्रीकृत योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुये शेष धनराशि का उपयोग वर्ष 2015–16 की योजना निर्माण हेतु किया जाये। साथ ही जिले उपलब्ध राशि एवं आवश्यकता का आकलन कर आवश्यकतानुसार मांगपत्र राज्य योजना आयोग को प्रेषित करें। जिला नियोजन करते समय विभिन्न मदों में निम्नानुसार व्ययों का प्रावधान किया गया है –

विवरण	व्यय प्रावधान
ग्रामीण एवं नगरीय निकाय के लिये जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण/कार्यशाला	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ठहरना – रू. 250/– तक प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय – रू. 150/– तक स्टेशनरी – प्रति प्रतिभागी रू. 50/– तक प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
जनपद स्तर पर तकनीकी सहायता दलों (Technical Support Group-TSG) एवं पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय –रू. 100/– तक स्टेशनरी – प्रति प्रतिभागी रू. 50/– तक प्रशिक्षण में स्थानीय अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि ही भाग लेंगे। अतः ठहरने पर व्यय का प्रावधान नहीं होगा। प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
प्रति ग्रामीण TSG (ग्राम स्तरीय प्रक्रिया संचालन के लिये व्यय)	रू. 2000/–
प्रति नगरीय TSG (नगरीय वार्ड स्तरीय प्रक्रिया संचालन के लिये व्यय)	रू. 500/–
डाटा एन्ट्री एवं समेकन कार्य हेतु सेवायें	आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
वातावरण निर्माण/रेडियो वार्ता/ विज्ञापन/ पम्पलेट आदि.	आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।

अनुलग्नक–6

नियोजन प्रक्रिया के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु संकेतक

क्रं.	जिला	नियोजन प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी – ग्राम/वार्ड सभा में समुदाय की उपस्थिति प्रतिशत					नियोजित किये गये ग्राम तथा वार्डों का प्रतिशत	विभागों द्वारा स्वीकृत कुल गतिविधियों का प्रतिशत	प्राप्त गतिविधियों पर रिस्पोंस किये गये विभागों का प्रतिशत	गत वर्षों में स्वीकृत गतिविधियों में से क्रियान्वित किये गये कार्यों का प्रतिशत	विभागों द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन की समयसीमा का निर्धारण हां/नहीं	विकेन्द्रीकृत नियोजन सुदृढ़ीकरण मद अंतर्गत व्यय राशि का प्रतिशत
		महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट : उक्त बिंदुओं पर साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिलों की नियोजन प्रक्रिया की गुणवत्ता का आंकलन, मूल्यांकन तथा रेंकिंग की जायेगी तथा इसके आधार पर जिलों द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु जिला योजना अंतर्गत प्रस्तावित संसाधनों का आवंटन स्वीकृत किया जायेगा।